

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-V/506  
सं. पीसी-V/2011/ए/मेड./1

आरबीई सं. 117/2011  
नई दिल्ली, दिनांक: 26.08.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां  
(मानक डाक सूची के अनुसार)

शुद्धिपत्र


विषय: रेलवे पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को निर्धारित चिकित्सा भत्ता प्रदान करना।

कृपया रेलवे बोर्ड के 07.06.2011 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसके साथ निर्धारित चिकित्सा भत्ते का दावा करने के लिए संशोधित वचनबद्धता फॉर्म संलग्न किया गया है। दिनांक 07.06.2011 के समसंख्यक पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए यह उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र के पैरा 2 को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए:-

"निर्धारित चिकित्सा भत्ते का विकल्प देने के लिए संशोधित वचनबद्धता फॉर्म संलग्न है। बोर्ड के दिनांक 21.04.1999 के पत्र सं. पीसी-V//98/1/7/1/1 (आरबीई सं. 65/99) के पैरा 4 के अनुसार रेलवे पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स, जो 21.04.1999 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, चिकित्सा भत्ते के लिए दावा अपने संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करें और जो 21.04.1999 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे चिकित्सा भत्ते का दावा अपने संबंधित पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत करें।"

2. इसी प्रकार, दिनांक 07.06.2011 के पत्र के अनुबंध-I में वचनबद्धता के शीर्ष पर दिए पाठ को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए:-

"(पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स द्वारा संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकारी (पीडीए)/पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी (पीएसए), जो भी लागू हो, को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए। पीडीए वचनबद्धता की एक प्रति अपने पास रख लें और दूसरी प्रति पीएसए को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दें।"



(एन.पी. सिंह)

उप निदेशक, वेतन आयोग-V  
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार  
MINISTRY OF RAILWAY/रेल मंत्रालय  
(Railway Board)

S.No. PC-V/506  
No. PC-V/2011/A/Med./1

RBE No. 117 /2011  
New Delhi, dated 26-8-2011

The General Managers(P)  
All Zonal Railways & PUs  
(As per standard mailing list)

**CORRIGENDUM**

Sub: Grant of Fixed Medical Allowance to Railway pensioners/family pensioners.


Kindly refer to Railway Board's letter of even number dated 07-6-2011 enclosing therewith revised Undertaking Form for claiming Fixed Medical Allowance. In partial modification to the letter dated 07-6-2011 ibid, it is mentioned that para 2 of the said letter may be read as under:

"The revised Undertaking Form to opt for Fixed Medical Allowance is enclosed. In terms of para 4 of Board's letter No. PC-V/98/1/7/1/1 dated 21-4-1999 (RBE No. 65/99), the Railway pensioners/family pensioners who retired prior to 21-4-1999 should submit the claim for Medical Allowance to their concerned Pension Disbursing Authority and those retired on or after 21-4-1999 should submit the claim for Medical Allowance to their concerned Pension Sanctioning Authority."

2. Similarly, the text on top of the Undertaking in Annexure-I to the letter dated 07-6-2011 may be read as under:

"(to be submitted in DUPLICATE by pensioners/family pensioners to the concerned Pension Disbursing Authority (PDA)/Pension Sanctioning Authority (PSA), whichever is applicable. PDA should retain one copy of the Undertaking and furnish the other to the PSA for necessary action.)"

3. Hindi version is enclosed.



(N.P. Singh)

Deputy Director, Pay Commission-V  
Railway Board